राजस्थान सूचना आयोग

कमरा नं0 302, 'सी' विंग वित्त भवन,
जनपथ, ज्योति नगर, विधान सभा के पास, जयपुर

परिवाद संख्या – 129/2012

परिवाद अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

श्री अभिषेक जैन,
299, स्वागत सदन, पथिक नगर,
रोडवेज बस स्टेन्ड के पीछे,
बिजौलिया,
जिला भीलवाडा (राजस्थान)

– परिवादी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,
उप सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा (राजस्थान)

– प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 16.04.2012

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलीय आदेश की पालना न होने से प्रस्तुत परिवाद में जारी नोटिस दिनांक 05.03.12 के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी का कहना रहा कि परिवादी ने वांछित सूचना पाकर लम्बित प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने की घोषण प्रस्तुत की है, अतः परिवाद निरस्त किया जावे।

2. उभय पक्ष को आज सुनवाई हेतु तलब किया गया। परिवादी उपस्थित नहीं हुए। प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए0के0भार्गव, अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने आज लिखित में अवगत कराया कि परिवादी ने परिवाद वापिस लेने की घोषणा की है, अतः अब परिवाद में किसी जांच की अपेक्षा नहीं रह गई है।

Authenticated

Dy. Registrar

3. मैने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वांछित सूचना के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन संख्या 17260/2011 में निर्णय पारित कर प्रत्यर्थी को गणित द्वितीय की उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिये किया है। इस अनुकम में परिवादी ने दिनांक 16.03.12 को प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर लिखित में यह आवेदन किया है कि वहं परिवाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस आलोक में परिवाद में अन्य कोई जांच की अपेक्षा नहीं रही है। अस्तु, परिवाद समाप्त किया जाना समुचित है।

4. फलतः, उक्त विवेचनाधीन, परिवाद निस्तारित किया जाता है।

5. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हों।

(टी0 श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

sps

Authenticated

Dy. Registrar
Rajasthan Information Commission
JAIPUR